परिचय 1

बीकानेर राजस्थान राज्य के उत्तर-पश्चिम में जयपुर से लगभग 380 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह प्रदेश का सम्भागीय एवं जिला मुख्यालय है। जनसंख्या की दृष्टि से प्रदेश में इसका चौथा स्थान है।

बीकानेर थार रेगिस्तान के मध्य 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 73.19 डिग्री पूर्वी देशान्तर पर स्थित है। माध्य समुद्रतल से इसकी ऊंचाई लगभग 228 मीटर है। यह रेलवे, सड़क एवं हवाई मार्ग से देश और प्रदेश के अन्य नगरों से भली प्रकार से जुड़ा हुआ है। इस प्राचीन नगर की स्थापना 1488 ईस्वी में जोधपुर राजवंश के राजकुमार राव बीकाजी ने की थी। बीकानेर शहर प्रदेश में व्यावसायिक, वाणिज्यिक, औद्योगिक एवं शिक्षा के केन्द्र के रूप में विकसित है। बीकानेर, ऊन उत्पादन में एशिया की सबसे बड़ी मण्डी है। दूध उत्पादन में राज्य में इसका पहला स्थान है। यहाँ से देश की राजधानी दिल्ली एवं प्रदेश के अन्य नगरों को दूध की पूर्ति होती है। मुलतानी मिट्टी, जिप्सम और मूंगफली के उत्पादन में भी बीकानेर का अग्रणी स्थान है। बीकानेर का नमकीन-भुजिया, प्रदेश, देश और विदेश में प्रसिद्ध है।

बीकानेर 1488 ईस्वीं में अपनी स्थापना से ही विकास की ओर गतिमान है। महाराजा गंगासिंह जी के शासन-काल में बीकानेर का चहुंमुखी विकास हुआ। उनके द्वारा सर्वप्रथम बीकानेर को रेल मार्ग से प्रदेश के अन्य नगरों एवं देश की राजधानी दिल्ली से जोड़ा गया। बीकानेर के विकास के लिये गंग कैनाल का निर्माण करवाया गया। प्रदेश के सबसे पहले ताप बिजलीघर (रोशनीघर) का निर्माण भी उनके शासन काल में हुआ। इसके अतिरिक्त लालगढ़ पैलेस, अनेक सार्वजनिक इमारतों, पार्कों और एक सिनेमाघर (गंगा थियेटर) का निर्माण भी महाराजा गंगासिंह जी के शासनकाल में ही हुआ था। इनके शासनकाल की समृद्धि नगर के चौराहों, पार्कों और राजकीय भवनों के सुनियोजित विकास से दृष्टिगोचर होती है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि महाराजा गंगासिंह जी नगर के विकास के लिये बहुत हद तक प्रयत्नशील थे।

देश की आजादी के बाद भी आने वाले समय में राजस्थान राज्य बनने के बाद भी बीकानेर का विकास कार्य पहले के समय में निर्धारित निर्देश और तकनीकों के आधार पर करवाया गया। रेलवे और मिलिट्री छावनी के विकास एवं इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के आ जाने से बीकानेर में कई केन्द्रीय और राज्य सरकार के कार्यालय

इन राजकीय इमारतों में उनके निवासों के साथ-साथ स्थापित किये गये। औद्योगिक क्षेत्र, कृषि विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, वेटेनरी कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, डिग्री कॉलेज, आई.टी.आई. इत्यादि बन जाने से शहर के विकास में बढ़ोतरी हुयी।

प्रारम्भ में नगर का शहरी क्षेत्र लगभग 660 एकड़ था जो कि परकोटे के अन्दर ही था। वर्ष 1971 में बढ़कर लगभग 5570 एकड़ हो गया। वर्ष 1971 में बीकानेर, गंगा शहर एवं भीनासर तीनों स्थानीय निकायों को एक साथ मिला दिया गया। इस प्रकार शहरी क्षेत्र के अव्यवस्थित विकास व विस्तार होने के कारण बहुत सी समस्याएँ उत्पन्न हो गई, जैसे औद्योगिक एवं गैर आवासीय स्थानों की अत्यधिक तंगी, यातायात, भीड़भाड़, जल-मल निकासी एवं अन्य सार्वजनिक सुविधाओं की कमी आदि। इसी दौरान बीकानेर की जनसंख्या में भी आशातीत वृद्धि हो गई। सन् 1901 में बीकानेर की जनसंख्या मात्र 53,075 थी जो कि सन् 1971 तक बढ़कर 2,08,894 हो गई।

उपरोक्त विभिन्न समस्याओं के निराकरण एवं बढ़ी हुई जनसंख्या के लिये भविष्य की आवश्यकताओं एवं शहर का नियोजन इस प्रकार हो कि यह एक व्यवस्थित एवं नियोजित शहर दृष्टिगोचर हो। इस उद्देश्य से सन् 1976 से 1996 तक के लिये एक मास्टर प्लान तैयार किया गया था। सन् 1996 के बाद सन् 2001 तक इस मास्टर प्लान की अवधि बढ़ा दी गई।

बीकानेर शहर की वर्ष 2001 में जनसंख्या 5.29 लाख एवं विकसित क्षेत्र 15,353 एकड़ हो चुका है, चूंकि मास्टर प्लान की अवधि समाप्त होने जा रही थी अतः वर्ष 2023 के लिये नया मास्टर प्लान बनाया गया है। जिसकी, वर्ष 2023 की जनसंख्या 11.5 लाख अनुमानित की गई है।

सन् 2001 के बाद, शहरी क्षेत्र के विस्तार एवं जनसंख्या में होने वाली वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए बीकानेर के मास्टर प्लान का पुनरावलोकन कर शहर के वांछित विकास एवं अन्य बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए, शहर के भविष्य की रूप रेखा तैयार की गई है, और प्रयत्न किया गया है कि शहर का नियोजन इस प्रकार हो कि यह एक व्यस्थित एवं नियोजित शहर दृष्टिगोचर हो।

वर्ष 2003 तक नगर की विभिन्न आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए योजना मापदण्डों के अनुरूप आवश्यकतानुसार, भूमि का आंकलन एवं स्थल निर्धारण किया गया। इन सभी अध्ययनों के आधार पर बीकानेर के मास्टर प्लान का प्रारूप तैयार किया गया, जिसे राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 5 (1)

के अन्तर्गत दिनांक 22.12.2001 को जनता से आपत्तियाँ एवं सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किया गया एवं अम्बेडकर भवन, बीकानेर में जनता के अवलोकनार्थ प्रारूप मास्टर प्लान से संबंधित मानचित्रों की प्रदर्शनी भी एक माह के लिए आयोजित की गयी। प्रारूप मास्टर प्लान की प्रतियाँ, सम्बधित विभागों, स्थानीय निकायों, बीकानेर के नगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों को सुझावों हेतु भेजी गयी तथा प्रारूप मास्टर प्लान के प्रकाशन के संबंध में अधिसूचना स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित की गयी।

बीकानेर के प्रारूप मास्टर प्लान पर एक माह की समयावधि में कुल 15 आपत्तियाँ/सुझाव पत्र प्राप्त हुए जिसमें से 2 राजकीय एवं अर्द्ध-राजकीय कार्यालयों, 1 सामूहिक तथा 12 व्यक्तिगत रूप से प्राप्त हुए। उक्त प्राप्त 15 पत्रों के अन्तर्गत 35 आपत्तियाँ एवं सुझाव दर्ज थे। सभी आपत्तियाँ/सुझावों का विस्तृत अध्ययन विश्लेषण तथा मौका निरीक्षण किया गया।

सम्पूर्ण जांच के उपरान्त सात सुझाव स्वीकृति योग्य एवं एक सुझाव आंशिक स्वीकृति योग्य पाया गया जबकि अन्य सुझाव स्वीकृति योग्य नहीं थे, उन आपत्ति/सुझावों पर मास्टर प्लान स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं समझी गयी जो कि अधिकांशतः सामान्य प्रकृति के थे। स्वीकृत आपत्ति/सुझावों का समावेश करते हुए, बीकानेर की भू-उपयोग योजना-2003 के मानचित्र एवं मास्टर प्लान रिपोर्ट में वांछित संशोधन कर दिये गये हैं।

इस प्रकार बीकानेर के मास्टर प्लान को अन्तिम रूप से तैयार कर लिया गया है, जिसे राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 6 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकार को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

(हेमन्त मुरडिया)
मुख्य नगर नियोजक,
राजस्थान, जयपुर।

यह मास्टर प्लान राज्य सरकार द्वारा नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा-6 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत अनुमोदित कर उक्त अधिनियम की धारा 7 के अनुसरण में दिनांक 22.10.2002 को अधिसूचित कर दिया गया है। (परिशिष्ठ-3)

❖ ❖ ❖